



Neutral Citation No. - 2026:AHC:21429

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - सी – 3383 वर्ष 2026

श्रीमती शोभा सिंह

...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

...प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: संगीता गुप्ता

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या – 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी प्रतिवादियों को नोटिस भेजकर और इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखकर कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी पक्षकार आदेश से असंतुष्ट हैं, तो उन्हें आदेश में पुनरीक्षण/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. याचिकाकर्ता द्वारा इस याचिका में मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2/नायब तहसीलदार, पदराउना, जिला कुशीनगर को दिनांक 13.06.2025 को दायर बहाली आवेदन (केस संख्या 5662/2025 (शोभा सिंह बनाम अजीता सिंह)) पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए।
4. यह मामला प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष लंबे समय से लंबित है और काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, इस याचिका का निपटान करते हुए प्रतिवादी संख्या 2/नायब तहसीलदार, पदराउना, जिला कुशीनगर को निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त मामले में दायरबहाली आवेदन पर कानून के अनुसार शीघ्रता से और अधिमानतः प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर निर्णय लें, लेकिन अनावश्यक स्थगन न दिया जाए, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

30 जनवरी, 2026

सकलैन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"